जिला सैनिक बोर्ड काँगड़ा स्थित धर्मशाला जिला काँगड़ा (हि.प्र) के पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास लेखों का अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन
अवधि 04/2013 से 03/2016

भाग-एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

जिला सैनिक कल्याण बोर्ड, काँगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा पुराने पैरों के निपटारे/समायोजन हेतु कोई विशेष प्रयास नहीं किए जा रहे है। अत: पुराने पैरों के निपटारे/समायोजन हेतु अविलम्ब कार्यवाही अमल में लाई जाए। वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त निपटारे हेतु बकाया पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2000 से 3/2001

1.	पैरा-5(क)	आंशिक निर्णीत

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2003

1.	पैरा -5(i)	अनिर्णीत
2.	पैरा -5(ii)	अनिर्णीत
3.	पैरा- 5 (viii)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2005

1.	पैरा -6	आंशिक निर्णीत

(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2008

क्रम संख्या	**पैरा संख्या**	**पैरे की स्थिति**	**टिपण्णी**
1.	पैरा -7	निर्णीत	स्वीकृति देख ली गई है।

(ड.) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009

क्रम संख्या	**पैरा संख्या**	**पैरे की स्थिति**	**टिपण्णी**
1.	पैरा -5	आंशिक निर्णीत	क्र0सं0 2 व 3 की पावतियाँ शेष है।

(च) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2013

क्रम संख्या	**पैरा संख्या**	**पैरे की स्थिति**	**टिपण्णी**
1.	पैरा – 5	निर्णीत	कार्यवाही देख ली गई।
2.	पैरा – 6	निर्णीत	स्वीकृति देख ली गई।

भाग -दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

जिला सैनिक कल्याण बोर्ड काँगड़ा स्थित धर्मशाला पुननिर्माण एवं पुनर्वास के अवधि 4/2013 से 3/2016 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुछेद में दिए गए है, श्री मुकेश कुमार स्नेही , अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 18-03-2017 से 20 -03-2017 तक के दौरान कार्यालय परिसर में किया गया। आय व व्यय कि विस्तृत जाँच के लिए क्रमशः माह 01/14, 06/14, तथा माह 09/13, 07/14 व 01/16 को चयनित किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान स्क्वाडन लीडर श्री मनोज राणा , द्वारा उप निदेशक व आहरण एवं संवितरण अधिकारी सैनिक कल्याण बोर्ड कांगड़ा स्थित धर्मशाला का कार्य निष्पादित किया गया।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को सैनिक कल्याण बोर्ड के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार कि गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई है, के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

जिला सैनिक कल्याण बोर्ड काँगड़ा स्थित धर्मशाला के अवधि 1.4.13 से 31.1.16 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹2000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला-171009 को भेजने हेतु संस्थाध्यक्ष से द्वारा अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति:-

जिला सैनिक कल्याण बोर्ड काँगड़ा स्थित धर्मशाला के पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास निधि

खाते से सम्बन्धित लेखों की वित्तीय स्थिति अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न प्रकार से पाई गई :-

वर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष में प्राप्ति	वर्ष में प्राप्त ब्याज	जोड़	व्यय	अन्त शेष
2013-14	436624.71	160000	17670	**614294.71**	59350	**554944.71**
2014-15	554944.71	380000	21345	**956289.71**	60510	**895779.71**
2015-16	895779.71	-------	49745	**945524.71**	60550	**884974.71**

अन्त शेष का विवरण :-

(i)	दिनांक 31-3-16 को स्टेट बैंकपटियाला धर्मशाला के बचत खाता स.55096945261में जमा राशि	**₹205162.71**
(ii)	दिनांक 31-3-16 को निवेशित राशि	**679812.00**
	कुल जोड़	**₹884974.71**

5 निवेश:- जिला सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास निधि से ₹679812 दिनांक 31-3-16 तक निवेशित थी जिसका विवरण **परिशिष्ट "क"**पर सलग्न है।

6 व्यय ₹0.69 लाख बारे:-

निदेशक, सैनिक कल्याण हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या:12-15-MISC/96 – SWD/891 दिनांक 05-07-2001 द्वारा व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र चलाने हेतु कम से कम 20 प्रशिक्षणार्थी होने चाहिए तथा 20 से कम होने पर यह केन्द्र नहीं चलाए जा सकते। जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में बोर्ड द्वारा कुल दो स्थानों पर केन्द्र चलाए गए परन्तु दोनों केन्द्रों में प्रशिक्षणार्थी की संख्या 20 से कम थी जिसका विवरण निम्न लिखित है।

क्रम संख्या	व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	प्रशिक्षणार्थीयों की संख्या
1.	वी० टी० सी० कुठमा	13
2.	वी० टी० सी० मोली चक्क़	16

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि बोर्ड द्वारा चलाये जा रहे प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षणार्थियों की अपेक्षित संख्या नहीं थी। इस प्रकार बोर्ड प्रबन्धन द्वारा उक्त आदेशों की अवहेलना कर व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र चलाए गये तथा तीन वर्षो में इन पर लगभग ₹68550 का व्यय किया गया जो कि अनियमित था। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर उप निदेशक सैनिक कल्याण बोर्ड धर्मशाला द्वारा तुरन्त कार्यवाही करते हुए अंकेक्षण के दौरान

निदेशक सैनिक कल्याण बोर्ड से पत्र संख्या :12-15/काँगड़ा/2017-SWD-29-03-17 द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर आपत्ति का निपटारा करवाया गया। भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाना सुनिश्चित किया जाए ।

7 **लघु- आपत्ति विवरणिका:-** यह अलग से जारी नहीं की गई है। इनका मौके पर निपटारा कर दिया गया।

8 **निष्कर्ष:** - लेखाओं के रख-रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(2)सी (15)(14)20 (ए)/72 खण्ड–8–5611–5614, दिनाँक 13.09.2017 शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1. उप निदेशक, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. अवर सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–171002
3. निदेशक, राज्य सैनिक कल्याण निदेशालय हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
4. जिलाधीश काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881